रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 1977/पौष 28, 1898

No. 20] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 1977/PAUSA 28, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 13th January 1977

S O. 26(E)/18FB/IDRA/77.—Whereas the Order of the Government of India, in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No S O 35(E)/18FB/IDRA/73, dated the 19th January, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. India Machinery Company Limited, Howrah, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from that date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date of issue shall remain suspended for the said period,

And, whereas, the duration of the said Order was extended upto the 18th January, 1977;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 24th November, 1977,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 24th November, 1977.

[No F.25(26)/72-CUC.]

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1977

का० आ० 26(अ)/18चख/उ० वि० वि० अ०/77.—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 35 (असा०)/18 चख उ० वि० वि० अ० 73 तारीख 19 जनवरी, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा यह घोषित किया था कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी सविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पट्टों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सबंधित है), जिसमें मैसर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू किए जा सकते है, प्रवर्तन उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और जारी करने की उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोदभूत या उदभूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की कालावधि 18 जनवरी, 1977 तक बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की कालावधि 24 नवम्बर, 1977 तक, जिसमे वह दिन भी सम्मिलित है, को और अवधि के लिए बढा दी जानी चाहिए,

अत., अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की कालावधि 24 नवम्बर, 1977 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, को और अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[स० फा० 25(26)/72-सी यू सी]

S.O. 27(E)/18FB/IDRA/77.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No S O 36(E)/18FB/IDRA/73, dated the 19th January, 1973, (hereinafter referred to as the said Order, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all or

any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, or other instruments in force immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Indian Rubber Manufacturers Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended upto the 18th January, 1974 and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 18th January, 1974,

And, whereas, the duration of the said Order was extended from time to time upto the 18th January, 1977,

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 17th September, 1977,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 17th September, 1977

[No F 25(5)/72-CUC.]

का० आ० 27(अ)/18चख/उ० वि० वि० अ०/77—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951(1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 36 (असा०/18 चख/उ० वि० वि० अ०/73, तारीख 19 जनवरी, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा घोषित किया था कि राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओ, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रो, करारो, व्यवस्थापनाओं, पचाटो, स्थायी आदेशो या अन्य लिखतो का (उनसे भिन्न, जो बैंको और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वो से सम्बन्धित है), जिसको मैसर्स इंडियन रबड मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू किए जा सकते है, प्रवर्तन 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोदभूत या उदभूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएँ तथा दायित्व 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेंगे ।

और उक्त आदेश की कालावधि समय समय पर 18 जनवरी 1977 तक बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की कालावधि 17 सितम्बर, 1977 तक, जिसमे वह दिन भी सम्मिलित है को और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की कालावधि 17 सितम्बर, 1977 तक, जिसमे वह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

[सं० फा० 25 (5)/72-सी यू सी]

S.O. 28(E)/18FB/IDRA/77.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S O. 34(E)/18FB/IDRA/73, dated the 19th January, 1973, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as

Messrs. Containers and Closures Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended upto the 18th January, 1974, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 18th January, 1974;

And, whereas the duration of the said Order was extended from time to time upto the 18th January, 1977,

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 28th November, 1977,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 28th November, 1977.

[No. F.2(17)/72-CUC]

A. K. GHOSH, Addl. Secy.

का० आ० 28(अ)/18 चख/उ० वि० वि० अ०/77.—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स० का० आ० 34(अ० सा०)/18 चख उ० वि० वि० अ०/73 तारिख 19 जनवरी, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा यह घोषित किया था कि राजपत्र मे उक्त आदेश के जारी किए जानें की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओ, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रो, करारो, व्यव- स्थापनो, पचाटो, स्थायी आदेशो या अन्य लिखतो का (उनसे भिन्न, जो बैको और वित्तीय सस्थाओ के प्रतिभूत दायित्वो से सम्बन्धित हैं), जिसको मैसर्स कन्टेनर्स एड क्लोसर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेगा और जारी करने की उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोदभूत या उदभूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेगें,

और उक्त आदेश की कालावधि समय समय पर 18 जनवरी, 1977 तक बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की कालावधि 28 नवम्बर, 1977 तक जिसमे वह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए बढा दी जानी चाहिए ।

अत, अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की कालावधि 28 नवम्बर, 1977 तक जिसमे वह दिन भी सम्मिलित है, बढाती है ।

[स० फा० 2(17)/72—सी यू सी]

ए० के० घोष, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977